**International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)**
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

# ''लघु एंव सीमांत किसानो के आर्थिक विकास में जिला सहकारी बैंक का योगदानः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन''
# (मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)

**Dr Renu Soni, Reader and Head**
**Department of Commerce, M B khalsa College, Indore MP**
**renumehtasoni@gmail.com**

**सार :–**

लघु कृषक अर्थात् वे कृषक, जिनकी कृषि जोत का आकार अर्थात् कृषि योग्य भूमि एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर के मध्य है। वहीं सीमांत कृषक वे कृषक हैं जिनके पास एक हेक्टेयर से भी कम कृषि योग्य भूमि होती है। वर्ष 2010–2011 की कृषि गणना के अनुसार भारत में कुल कृषक जनसंख्या में से लगभग 17.93 प्रतिषत जनसंख्या में लघु कृषक परिवार आते हैं और 67.04 प्रतिषत सीमांत कृषक परिवार हैं। आर्थिक विकास एक ऐसी अनवरत प्रक्रिया है, जिसके द्वारा देष के संसाधनों का अधिकाधिक कुषलता के साथ उपयोग करके व्यवस्था के समसत क्षेत्रो की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। जिस राष्ट्र के नागरिकों की आय एवं उपभोग के स्तर में वृद्धि संभव हो सके, उसी देष में आर्थिक व्यवस्था का विकास दिखाई देता है। सरकार ने यद्यपि 12 पंचवर्षाय योजनाओं में कृषकों के हित की नितियाँ बनाई हैं। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह की 28 तारीख को बजट का प्रावधान होता है। तथापि सरकार के इन सभी प्रयत्नों की समीक्षा आवष्यक है। वहीं अगर देखा जाए तो ग्रामीण कृषकों की साख पूर्ति के लिए प्रदेष में जिला सहकारी बैंक अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अतः प्रष्न यह है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, धारक ने कृषकों के हितों की पूर्ति हेतु निर्धारित लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है। इसलिए शोधार्थी द्वारा ''लघु एंव सीमांत किसानो के आर्थिक विकास में जिला सहकारी बैंक का योगदानः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'' (मध्यपदेश के बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में) का चयन किया गया है।

**की– वर्ड :– किसान, बैकिंग, आर्थिक विकास, रोजगार।**

**International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)**
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

**प्रस्तावना :–**

भारत एक कृषि प्रधान देष है। कालांतर में यह विकासषील देषों की श्रणी में भी आने लगा है। विकासशील भारत में शनैः – शनैः भारतीय अर्थव्यवस्था भी विकसित हुई। इस दिषा में यहाँ व्यापार, क्षेत्र, उद्योग, बैंकिंग, बीमा, यातायात, सेवा क्षेत्र सभी क्षेत्रों में विकास ने गति पकड़ी है। तथापि भारतीय अर्थव्यवस्था केवल इन पर आधारित न होकर उसका एक बड़ा भाग भारतीय कृषि–व्यवस्था के मूल में स्थित ह। अतएव राष्ट्रीय आय का 17.5 प्रतिषत हिस्सा कृषि आधारित है। कृषि प्रधान राष्ट्र होने के कारण यहाँ की कार्यषील जनसंख्या का अधिकांष भाग भी कृषि एवं संबंधित फर्म में संलग्न है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि की अहम भूमिका है। इसमें 19 फीसदी जीडीपी और दो तिहाई आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में कृषि ऋण के महत्व को भारतीय कृषि की व्यापक आर्थिक संरचना और गरीबी उन्मूलन में इसकी भूमिका से अद्वितीय बनाया गया है। भारत के विकास में कृषि क्षेत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्षेत्र की बढ़ती ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक–आधारित संस्थागत ढाँचे को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में कृषि नीतियों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है ताकि कृषि क्षेत्र का बदलती आवश्यकताओं के साथ तालमेल बना रहे, जो प्राथमिकता क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण खण्ड है।

कृषि विकास में ऋण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि विकास तभी संभव है जब पर्याप्त पूँजी और उचित तकनीक का उपयोग किया जाए। कृषि की तकनीक में बदलाव ने ऋण की आवश्यकता को बढ़ाया। क्रेडिट एक उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है, जो किसानों के मन को पारंपरिक कृषि से आधुनिक कृषि में बदल देता है। ऋण संसाधनों पर एक आदेश प्रदान करता है। उन किसानों को तरलता की आवश्यकता होती है जिनके पास अवसरों का फायदा उठाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और ऐसे किसानों के लिए ऋण उन अवसरों में बढ़ावा देते हैं। आधुनिक कृषि को आवर्ती और गैर–आवर्ती प्रकृति दोनों के साथ काफी निवेश की आवश्यकता होती है। आवर्ती पूँजी पुनरावृत्ति है यानी बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम आदि। गैर–आवर्ती पूजी कृषि औजार, ट्रैक्टर, टिलर आदि में निवेश है।

अधिकांश किसान छोटी जोत और सुनिश्चित सिंचाई की कमी के कारण गरीब हैं। वे अकेले कृषि आय से निर्वाह नहीं कर सकते थे। ऐसे किसानों के लिए जीवन यापन के लिए अन्य आर्थिक गतिविधियों से आय बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, कृषि ऋण के अलावा, गैर–कृषि क्षेत्र की गतिविधियों के लिए ऋण भी महत्वपूर्ण है और इसे ग्रामीण ऋण संस्थानों द्वारा पर्याप्त रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों

**International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)**
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

के लिए नौकरी बनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी गरीब किसानों से गैर–कृषि आय को गैर–कृषि गतिविधियों से बढ़ाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। किसानों की कुल ऋण ज़रूरतों को पूरा करना आवष्यक है और इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत ऋण देने की नीति होनी चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को पर्याप्त रूप से छोटे क्षेत्र, ग्रामीण उद्योगों, कृषि प्रसंस्करण इकाइयों आदि का भी समर्थन करना चाहिए।

किसानों को सशक्त बनाने के लिए, भारत सरकार ने कई नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए हैं। संस्थागत ऋण के विस्तार को अपर्याप्त पाया गया और संस्थागत ऋण के क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष नीति हस्तक्षेप की परिकल्पना की गई। इसने केंद्र सरकार को क्रेडिट डिस्बर्समेंट और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दोनों में छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने के लिए विशेष निर्देश जारी करने के लिए बनाया। ये नीतिगत एक हस्तक्षेप छोटे किसान विकास एजेंसी (SFDA), सीमांत किसान और कृषि मजदूर (MFAL), डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम (DRI), और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (IRDP) पर असर पड़ा और संस्थागत ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। छोटे और सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर। इसमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण की स्थापना, प्रमुख बैंक योजनाओं को शुरू करना, नाबार्ड, भारत में पुनर्जीवित क्रेडिट प्रणाली और हालांकि किसानों को ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की उपलब्धता अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। इस संबंध में, कृषि के क्षेत्र में संस्थागत ऋण द्वारा किए गए योगदान के सबंध में राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कई अध्ययन किए गए हैं।

**सहकारी बैंक का अर्थ** :—स्हकारी बैंक (को–ऑपरेटिव बैंक) वे बैंक हैं जिनका गठन एवं कार्य कलाप सहकारिता के आधार पर होता है। विश्व के अधिकांश भागों में सहकारी बैंक हैं, जो लोगों की प्जी जमा करते हैं तथा लोगों को धन उधार देते हैं। सहकारी बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक साख–सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। अतः ये संस्थाएँ भी वित्तीय समावेशन में सहायक हैं। सहकारी बैंक अपनी विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से व्यापारिक बैंकों के समान कार्य करते हैं। सहकारी बैंक प्राथमिक सहकारी समितियों, केन्द्रीय एवं जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक आदि के द्वारा जमाओं को स्वीकार करने व ऋण देने का कार्य करते हैं।

देष में सहकारी बैंकों की स्थापना के पीछे आदर्ष एवं उद्देष्य सहकारिता का था। सहकारिता समाज के लिए एक जीवन दर्षन हैं और प्रत्येक अर्थव्यवस्था में तो सहकारिता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सहकारी बैंक मुख्य रुप से कृषि ऋण, कृषित्तर ऋण आदि प्रदान करने के साथ ही साथ छोटी बचतों को भी आमंत्रित करती हैं। सहकारी बैंक कषकों एवं लघु कुटीर उद्यमियों को वित्तीय सुविधा हेतु वित्तीय सहयोग एवं सुविधाओं को

**International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)**
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

देने के लिए सतत प्रयत्नरत् है। इनका मुख्य उद्देष्य है – ग्रामीण कृषकों, लघु व कुटीर उद्यमियों को दोषपूर्ण कर्ज़ व्यवस्थाओं एवं सेठ–साहूकारों से मुक्ति दिलाना। यह केवल देष के कृषकों, लघु अथवा कुटीर उद्यमियों के लिए ही कारगर नही ंतो हमारे देष की अर्थव्यवस्था की मज़बूती के लिए भी आवष्यक है। सहकारी बैंक की इन विषेषताओं व उनकी इस महत्ता के कारण ही मध्य प्रदेष में जिला सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है।

**ढांचागत रुप से इन सहकारी बैंक को तीन स्तरों में विभाजित किया गया है**

**प्रथम : राज्य स्तर पर – राज्य सहकारी बैंक**

**द्वितीय : जिला स्तर पर – जिला सहकारी बैंक**

**तृतीय : ग्रामीण स्तर पर – प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियाँ।**

**बैंकिंग सुविधाएँ एवं सहकारिता**

आर्थिक रुप से बड़वानी जिले की निर्भरता मुख्य रुप से कृषि पर ही आधारित है। षि जिले के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। 84.9 प्रतिषतलोग जिले में कृषि आश्रित हैं। इनमें 44 प्रतिषत व्यक्ति कृषक हैं और 40.9 प्रतिषत खेतिहर मजदूर हैं। इन कृषि क्षेत्रों में कई अन्य छोटे उद्योग विकसित हो रहे हैं।

**उद्योग**

जिले में न तो प्रमुख और न ही मध्यम औद्योगिक प्रतिष्ठान थे। आटा, दाल, तेल, टाइल्स के कारखाने और पेपरकोन जैसे लघु उद्योग बड़वानी, सेंधवा और अंजड़ में स्थित हैं। 259 पंजीकृत छोटे पैमाने के उद्योग थे। कुटीर उद्योग में बाँस की टोकरियाँ, चमड़े के काम, लोहार, बढ़ई गीरी और ईंट बनाना आदि कार्य आते हैं।[1]

**बड़वानी में संचालित राष्ट्रीय बैंकों की सूची निम्न प्रकार है –**

1. एयरटेल पेमेंट्स बैंक
2. एक्सिस बैंक
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. बैंक ऑफ इंडिया
5. कैनरा बैंक
6. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
7. कॉर्पोरेशन बैंक

[1] स्रोतः जिला सांख्यिकी पुस्तक 2011.

8. देना बैंक
9. एच. डी. एफ. सी. बैंक
10. आई सी आई सी आई बैंक
11. इंडसइंड बैंक
12. पंजाब नेषनल बैंक
13. भारतीय स्टेट बैंक
14. सिंडीकेट बैंक
15. यस बैंक

## शोध साहित्य समीक्षा –

षोध साहित्य की समीक्षा न केवल शोध समस्याओं को समझने का अवसर देती है, बल्कि शोधकर्ता को विभिन्न मुद्दों को समझने में भी मदद करती है। पिछले शोध की समीक्षा से अध्ययन से संबंधित वैचारिक और पद्धति संबंधी मुद्दों की पहचान करने में मदद मिलती है। यह शोधकर्ता को स्रोतों को इकट्ठा करने और उन्हें समुचित तर्कसंगत व सार्थक व्याख्या करने के लिए सक्षम करेगा।

- **चिन्ना, एस.एस. (2002)**– ने कहा कि उत्पादकता बढाने के लिए क्रेडिट को सबसे महत्वपूर्ण इनपुट माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद से, वाणिज्यिक बैंकों को कृषि क्षेत्र को अधिक से अधिक ऋण प्रदान करने के लिए राज़ी किया गया था, लेकिन यह देखा गया है कि वाणिज्यिक बैंक विभिन्न कारकों के कारण ऋण प्रदान नहीं कर सके। कृषि के विकास के लिए ऋण एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। सहकारी समितियाँ और सहकारी बैंक भी विभिन्न कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान कर रहे हैं। सहकारी समितियों को बीज, उर्वरक और अन्य आदानों की खरीद के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक और सहकारो बैंक अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण प्रदान कर रहे हैं।
- **गुप्ता एस.के., एट अल, (2001)** ने संकेत दिया कि मध्य प्रदेश में 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 में सभी संस्थानों द्वारा कुल वित्तपोषण क्रमशः रु. 3,112, रु. 2,363 और रु. 2,570 करोड़। इसमें से कृषि क्षेत्र को वित्त पोषण कुल वित्तपोषण का क्रमशः रू 2385 करोड़, रु. 658 करोड़ और रु . 1747 करोड़ है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मंदसौर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ने लघु अवधि के उद्देश्यों के लिए कुल कृषि ऋणों का 90 प्रतिशत से अधिक वित्त पोषण किया जबकि 4.85 से 10.09 प्रतिशत ऋण दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए थे। तीन वर्षों में, जिला केंद्रीय सहकारी भूमि विकास बैंकों

द्वारा प्रदान किए गए संपूर्ण कृषि ऋण केवल दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए थे। सभी उधारकर्ता उधार लेने के अनुभव के साथ सहज थे और चुकौती सहित किसी भी समस्या का अनुभव नहीं करते थे। अधिकांश उधारकर्ताओं ने इस बात का विरोध किया कि ऋणों की न तो निगरानी की गई और न ही वित्तीय संस्थानों ने इनपुट के उपयोग पर विस्तार सेवाएँ प्रदान कीं।

- **सिंह ए.के. और सीमा जोशी (2003)** कुल अल्पकालिक ऋण में सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकों के योगदान को इंगित करते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति की अवधि शुरू होने से पहले, किसानों के लिए उन्नत कुल ऋणों में सहकारी समितियों द्वारा 100 प्रतिशत योगदान था, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति की शुरुआत के बाद, वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी में सहकारी संस्थाओं के हिस्सों की तुलना में वृद्धि हुई। 1995–96 और उसके बाद, सहकारी समितियों के शेयरों में लगातार गिरावट देखी गई और इस अवधि में कुल ऋण में हिस्सेदारी की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों में वृद्धि हुई प्रवृत्ति देखी गई। इसके अलावा, संस्थागत एजेंसियों के शेयर में वृद्धि का रुझान बताता है कि 2000 के बाद वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी में वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में कम थी। सहकारी समितियों के मामले में, यह गिरावट आई थी और इस अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। लेखक ने निष्कर्ष निकाला कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की राशि बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने मार्जिन मनी, सुरक्षा और नकदी के मामले में बैंकों को ऋण देने की प्रक्रिया को आसान बनाने, अधिक लचीलापन और विवेक रखने, संवितरण सहित कई कदम उठाए हैं।
- **ब्रेंट ए, एट अल, (2005)** इस बात की पड़ताल करता है कि कितने कारक लागत और कृषि ऋण के रिटर्न को प्रभावित करते हैं। परिणाम कृषि ऋण देने की मृत्यु लागत और प्रतिफल का अनुमान प्रदान करते हैं और मरते हैं और ये लागत और प्रतिफल ऋण की मात्रा, ऋणदाता उधारकर्ता संबंधों जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं।
- **चौबे ने बी.एन. (1983)** ने विभिन्न संस्थानों की जांच की जो कृषि क्षेत्र के वित्तपोषण के कार्य में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। लेकिन कृषि पर संस्थागत ऋण के प्रभाव की समीक्षा के बाद, यह लेखक द्वारा देखा गया है, कि सहकारी संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीय कृषि बैंक और ग्रामीण विकास आदि संस्थानों की जटिलता के बावजूद, कृषि क्षेत्र है। अभी भी पर्याप्त धन की चाह में पीड़ित है।

- **वर्मा एम. एल. (1988)** वर्तमान ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है जो ग्रामीण भारत की सामाजिक–आर्थिक संरचना को बदलने का पेटेंट हथियार है। यह मज़बूत विश्वसनीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों के लिए समृद्धि का नया द्वार खोल सकता है। यह ऋणांतरों को भर सकता है और स्वदेशी बैंकरों की उम्र के पुराने संस्थानों का पता लगा सकता है। पिछले पच्चीस वषो के दौरान वाणिज्यिक बैंकों को नई जिम्मेदारी और शाखा लाइसेंसिंग और नीति का निर्वहन करने के लिए लगातार निर्देशित किया गया है। प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के , नए संस्थागत मॉडल का विकास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बैनर, विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ विशेष रूप से लीड बैंक आईआरडीपी और बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के तहत उपलब्धियों के स्तर की योजनाएँ तय करना इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

## अध्ययन के उद्देश्य –

- बड़वानी जिला मुख्यालय के लघु एवं सीमांत किसानों की वित्तीय समस्याओं का आंकलन करना व इन किसानों की बैंक से ऋण प्राप्ति से पूर्व की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- छोटे और मध्यम किसानों की कृषि पर सहकारी बैंकों के प्रभाव को मापना।
- जिला सहकारी बैंक की लघु एवं सीमांत किसानों के आर्थिक विकास में सकारात्मक भूमिका को बढ़ाने हेतु उपयुक्त सुझाव प्रदान करना।

## शोध की परिकल्पना –

- लघु और सीमांत किसानों की कृषि पर सहकारी बैंक का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं है।
- सहकारी बैंको की योजनाओं के प्रभाव से किसानों की ऋण निर्भरता स्थानीय साहूकारों पर कम नही हुई हैं।

## अनुसंधान पद्धति –

प्रस्तुत षोध अध्ययन वर्णनात्मक एवं मूल्यांकनात्मक है। यह वर्णनात्मक भी है। वर्णनात्मक इसलिए है, क्योंकि अध्ययन विषय के बारे में पूर्व जानकारी प्राप्त करने हेतु साहित्य का सर्वेक्षण किया गया है। मूल्यांकन में लघु एवं सीमांत कृषकों के आर्थिक विकास में सहकारी बैंकों के योगदान का आंकलन किया गया है। प्रस्तुत अनुसंधान में एक व्यवस्थित योजना का पालन कर समंक संकलन के गुणात्मक और मात्रात्मक रीतियाँ शामिल की गई हैं।

**International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)**
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

**शोध विधि –**

षोधार्थी ने परीक्षण निर्माण की दृष्टि से पदों की संरचनाएँ, पदों की विषयवस्तु, स्वरुप निर्धारण आदि के लिए विभिन्न शैतिक अनुसंधानों, विष्वको, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय षोध प्रबंधों, लघु षोध प्रबंधों, मापन एवं मूल्यांकन की पुस्तकों, जर्नल, पठनीय एवं रुचिकर पत्र–पत्रिकाओं, षोध उपकरणों जैसे मानसिक स्वास्थ्य अनुसूची, समायोजन सूची, जीवन मूल्य मापनी एवं जीवन संतुष्टि मापनी आदि का भी अध्ययन व सर्वेक्षण किया गया। उपर्युक्त सामग्री से प्राप्त सूचनाओं का संकलन परीक्षण निर्माण के संदर्भ में किया गया। षोधकर्ता दवारा सर्वप्रथम षोध समस्या की पहचान के लिए उपलब्ध साहित्य का गहन अध्ययन किया गया। शोध समस्या की पहचान हो जाने के बाद षोध साहित्य के माध्यम से षोध उपकरणों का भी विकास किया गया। इनमें एक साक्षात्कार अनुसूची विकसित की गई तथा अन्य उपकरणों से उसकी तुलना कर दोषों को दूर किया गया। षोध उपकरणों के मानकीकरण के पष्चात् तथ्यों व समंकों का संकलन किया गया। अंततः उनका निष्पक्ष अवलोकन व परीक्षण कर षोध ग्रंथ में व्यवस्थित रुप देकर प्रस्तुत किया गया। निम्न आरेख में यह संपूर्ण प्रक्रिया कुषलता से पूर्ण रुपेण प्रस्तुत की गई है।

**न्यादर्श पद्धति –**

किसी भी षोध अध्ययन में आँकड़े एकत्रित करने हेतु प्रयुक्त विधि ही अध्ययन की विष्वसनीयता का आधार मानी जाती हैं। अध्ययन के लिए जितनी अधिक जनसंख्या को ष्षामिल कर आंकड़े एकत्रित किए जाएँ, परिणामों की विष्वसनीयता भी उतनी बढ़ जाती हैं परंतु हर स्तर पर जनसंख्या का शत–प्रतिषतभाग सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अधिकतर षोध अध्ययनों में संपूर्ण तथ्यों को सम्मिलित करने के स्थान पर उसका प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों को लेकर अध्ययन किया जाता है।

न्यादर्ष किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने की आधारषोला का कार्य करता है। अनुसंधान के परिणामों की विष्वसनीयता व वैधता चयनित न्यादर्ष पर निर्भर करती है। एक अच्छा न्यादर्ष संबंधित जनसंख्या के समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। इसका कारण है कि किसी भी समस्या के अध्ययन हेतु संपूर्ण जनसख्या को अध्ययन का विषय बनाना शाधार्थी के लिए अत्यंत समय साध्य, दुरुह और अपव्ययी साबित होगा और साथ ही आँकड़ों का सारणीयन एवं निर्वाचन करना अत्यावश्यक कार्य होता है। एक न्यादर्ष विषाल संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधित्व करता है। इसके विभिन्न पदों की परिभाषा निम्नानुसार है –

**समग्र** – समग्र या संपूर्ण जनसख्या, इकाई, वस्तुओं या मनुष्यों का समूह से चुने गए एक ऐसे अंष से है, जिसमें समग्र का प्रतिनिधित्व करने के समस्त लक्षण उपस्थित हों। किसी जनसंख्या में किसी चर का विषिष्ट

**International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)**
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछ इकाइयों को चना जाता है। इस चुनाव की प्रक्रिया को सैंपलिंग या निदर्षनकहते हैं। चयनित इकाई के समूह को निदर्षन कहते हैं।

**चर** – 'चर' वह गुण, विषेषतया अवस्था है, जिसका अध्ययन किया जाता है।

**इकाई** –चर की मात्रा को जिस छोटे घट में ज्ञात करते हैं, उसे 'इकाई' कहते हैं।

**जनसंख्या** –जिस समूचे समूह से इकाई का चयन तथा चर का मान ज्ञात किया जाए, उसे जनसंख्या कहते हैं।

**निदर्श** –कुछ ऐसी इकाइयों का समूह जो समूचे इकाई समूह का प्रतिनिधित्व करे।

## निदर्शन के आधार

**समग्र की सजातीयता** –निदर्षन में यह अत्यंत आवष्यक है कि समस्त जनसंख्या में अधिकतम समानता हो तथा चुनी गई इकाइयाँ समग्र का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हों।

**पर्याप्त परिशुद्धता** –निदर्षन षत्–प्रतिषत्कभी परिषुद्ध नहीं हो सकता फिर भी अध्ययनकर्ता का सदैव प्रयास रहना चाहिए कि निदर्षन यथा संभव प्रतिनिधित्व पूर्ण हो। तभी परिणामों की षुद्धता के प्रति आषा व्यक्त की जा सकती है।

श्रेष्ठ निदर्षन मुख्यतः उपयुक्ताकार, पूर्वाग्रह से रहित, विष्वसनीयता, अनुभवों पर आधारित, साधनों एवं उद्देष्यों के अनुरुप, ज्ञान एवं तर्क आधारित होता है और इन विषेषताओं को प्रस्तुत षोध में भी अपनाया गया है।

## निदर्शन के प्रमुख चरण

**अध्ययन का समग्र** –निदर्षनका चयन जिस समूह से किया जाता है, उसे समग्र कहते हैं। अनुसंधानकर्ता सबसे पहले उन समग्र इकाइयों का निर्धारण करता है, जिनमें से कुछ इकाइयों को निदर्ष के रुप में चयनित किया जा सके।

**निदर्शन इकाई का निर्धारण** –निदर्षन व सरलीकरण के लिए भौगोलिक क्षेत्रों, सम–सामाजिक समूहों, परिवारों, स्थानों, व्यक्तियों, घटनाओं, व्यवहारों, लक्षणों आदि इकाइयों का चुनाव किया जाता है।

निदर्षन के आकार का निर्धारण–निदर्षन के आकार निर्धारण का कोई नियम नहीं है। आकार जितना भी हो उसमें अध्ययन की समस्त मूलभूत विषेषताएँ षामिल हों तथा अध्ययन के उद्देष्यों को पूर्ण करने में वह समुचित रुप से सक्षम हो।

**International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)**
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

**निदर्शन सूची की रचना** –अध्ययनकर्ता के लिए निदर्षन क्षेत्र की इकाइयों की सूची विभिन्न स्रोतों (जनगणना प्रतिवेदन, टेलिफोन डायरेक्ट्री आदि) के द्वारा उपलब्ध होती है। परंतु इनके न होने की स्थितियों में संषोधन अथवा परिवर्तन की आवष्यकता के कारण निदर्षन सूची की रचना स्वयं ही करनी होती है।

**निदर्शन पद्धति का चुनाव** – यह निदर्षन पद्धति की अंतिम प्रक्रिया है। यह समस्या के प्रकार अथवा अध्ययन के विषय, समग्र की प्रकृति, संसाधनों की उपलब्धता आदि तथ्यों पर आधरित होता है।

**अध्ययन का समग्र – सभी व्यक्ति, वस्तु अथवा तथ्यों का समूह, जो पूर्व परिभाषित विशेषताओं के क्षेत्र में आए, जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। प्रस्तुत अध्ययन की लक्षित जनसंख्या के अंतर्गत बड़वानी जिले में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निवासरत लघु व सीमांत किसान, जिनहें जिला सहकारी बैंक, बड़वानी से ऋण प्राप्त हुआ है, आते हैं। इन्हीं के द्वारा समग्र का निर्माण किया गया है।**

**अध्ययन की इकाई** – षोध की संपूर्ण इकाइयों के अध्ययन के लिए जब 'कुछ' इकाईयों को ही विष्लेषण व निष्कर्ष के लिए चयनित किया जाए तब यह अध्ययन निदर्ष अथवा प्रतिदर्ष अध्ययन कहलाता है। निदर्षन संपूर्ण समग्र न होकर , उस समग्र का एक छोटा भाग अथवा कुछ इकाइयाँ होती हैं। ये समग्र की आधारभूत विषेषताओं का समुचित प्रतिनिधित्व करती हैं। षोधार्थी द्वारा चयनित निदर्ष है – बड़वानी जिले के जिला सहकारी बैंक से ऋण हितग्राही लघु व सीमांत किसान।

कुल 200 उपयुक्त उत्तरदाताओं का चयन निदर्षनपद्धति के आधार पर किया गया है। चयनित इकाई यद्यपि समस्त जनसंख्या का गणितीय प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, तथापि निदर्षन का आकार विषाल होने से प्रतिनिधित्व का समाधान कुछ हद तक प्राप्त किया जा सकता है। यही इस षोध में प्रयोग किया गया है।

उत्तरदाताओं का षोध हेतु चयन श्रेणीबद्ध रीति से किया गया है। निम्नलिखित तालिका में यह सूची व्यक्त की गई है। बड़वानी जिले के अंतर्गत आने वाली जिला सहकारी बैंक का अध्ययन क्षेत्र के लिए चयन किया गया व साथ ही उन बैंक से लघु व सीमांत कृषक जो ऋण हितग्राही हैं, उनका चयन भी उद्देश्यपूर्ण निदर्षन विधि द्वारा ही किया गया।

**International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)**
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

## उत्तरदाताओं का शोध हेतु चयन

| क्रमांक | ऋण हितग्राही का प्रकार | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | कुल हितग्राही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जिला सहकारी बैंक बडवानी के लघुस्तरीय किसान हितग्राही | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | जिला सहकारी बैंक बडवानी के सीमांत किसान हितग्राही | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 3 | कुल हितग्राही तथा उत्तरदाता | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |

### उत्तरदाताओं का चयन

उत्तरदाताओं का चयन हेतु निर्धारित चरणों की रूपरेखा निम्नानुसार है।

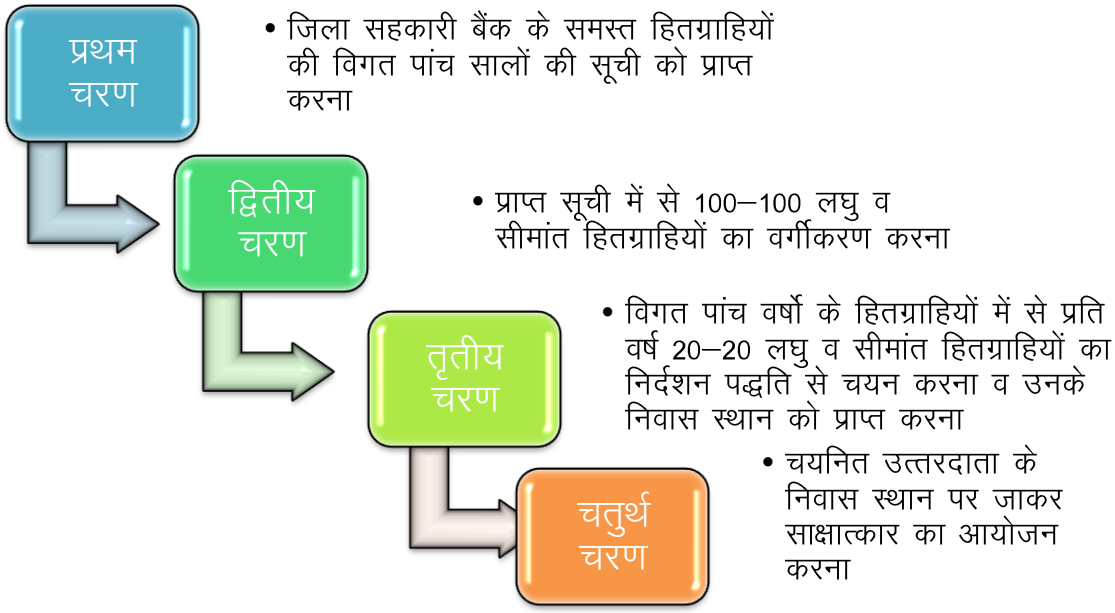

**International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)**
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

**शोध अध्ययन के उपकरण** – किसी भी षोध–अध्ययन की सफलता षोध कार्य में प्रयुक्त किए गए उपकरणों की गुणवत्ता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। अतः यह आवष्यक है कि षोधार्थी षोध समस्या के अनुरुप ही मानकीकृत व प्रमाणित उपकरणों का चयन करें, जो अनुसंधान के उद्देश्यों की कसौटी पर खरा उतर सके। अतः षोधार्थी द्वारा उपकरणों के चयन हेतु निम्नलिखित आवष्यकताओं की पूर्ति महत्वपूर्ण समझी –

1. प्रस्तुत षोध के लिए यह मापनी अध्ययन की समस्या के संदर्भ में उचित समाधान प्राप्त कर सके।
2. अध्ययन के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ उत्तरों की प्राप्ति हो सके।
3. प्राप्त उत्तर व परिणाम वैध एवं विश्वसनीय हों।

षोध का अध्ययन पूर्ण संपन्न करने के लिए 1. साक्षात्कार पद्धति जिसमें अनुसूची का निर्माण किया एवं विविध क्षेत्रों को लक्षित प्रष्नों का समावेष किया गया। 2. साक्षात्कार के साथ ही अवलोकन पद्धति का भी प्रयोग किया गया।

**अध्ययन का क्षेत्र** :– प्रस्तुत समस्या के वैज्ञानिक चिंतन हेतु मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले का चयन किया गया है। जिसका समस्त क्षेत्र इस षोध अध्ययन की सीमा निष्चित करता है।

**तालिका 1.**

**उत्तरदाता की शिक्षा संबंधी विवरण**

| शिक्षा | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|
| अशिक्षित | 23 | 11.5 |
| प्राथमिक | 83 | 41.5 |
| माध्यमिक विद्यालय | 52 | 26.0 |
| उच्च माध्यमिक | 32 | 16.0 |
| कॉलेज और ऊपर | 10 | 5.0 |
| **योग** | 200 | 100 |

**स्रोतः प्राथमिक डेटा**

इस अध्ययन ने शिक्षा को अशिक्षित, प्राथमिक, मध्य विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय और उससे अधिक में वर्गीकृत किया। उत्तरदाताओं में से अधिकांश प्राथमिक स्कूल स्तर हैं जो 200 में से 83 (41.5

**International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)**
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

प्रतिशत) हैं। मध्य विद्यालय के उत्तरदाताओं ने 200 में से 52 नमूने लिए हैं जो 26 प्रतिशत बनाता है। 32 उत्तरदाता उच्च माध्यमिक से हैं जो 16 प्रतिशत बनाता है। 23 उत्तरदाता अशिक्षित हैं जो 11.5% बनाता है। न्यूनतम उत्तरदाता कॉलेज और ऊपर के स्तर से हैं जो केवल 5% नमूना बनाता है।

**तालिका 2.**

**उत्तरदाता की भूमि स्वामित्व का विवरण**

| भूमि स्वामित्व | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हा | 53 | 26.5 |
| नहीं | 147 | 73.5 |
| **योग** | **200** | **100** |

**स्रोतः प्राथमिक डेटा**

यह तालिका 200 में से किसानों की 47 उत्तरदाताओं द्वारा भूमि के स्वामित्व को दिखाती है, उन्होंने कहा कि उनके पास किसी भी प्रकार की भूमि नहीं है, जो कि 73.5% नमूना है, जबकि 53 उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास भूमि का स्वामित्व है जो बहुत छोटा हिस्सा है नमूना यानी 26.5% ही है।

**तालिका 3.**

**उत्तरदाता की कृषक प्रकार का विवरण**

| कृषक प्रकार | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|
| छोटे किसान | 22 | 11 |
| मध्यम किसान | 33 | 16.5 |
| बड़े किसान | 2 | 1.0 |
| ग़ैर किसानी व्यवसाय | 143 | 71.5 |
| **योग** | **200** | **100** |

**स्रोतः प्राथमिक डेटा**

**International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)**
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

इस अध्ययन ने किसान को छोटे, मध्यम, बड़े और गैर–कृषि प्रकार में वर्गीकृत किया। उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाता गैर–कृषि श्रेणी के हैं जो 200 में से 143 (71.5%) हैं। मध्यम स्तर के उत्तरदाता 200 में से 33 नमूने हैं जो 16.5%: बनाता है। 22 उत्तरदाता छोटे पैमाने से हैं जो 11% बनाता है। 23 उत्तरदाता अशिक्षित हैं जो 11.5% बनाता है। न्यूनतम उत्तरदाता बड़े किसान हैं जो केवल 1% नमूना बनाते हैं।

**तालिका 4.**
**उत्तरदाता की पशुधन स्वामित्व का विवरण**

**स्रोतः प्राथमिक डेटा**

यह

| पशुधन स्वामित्व | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हा | 75 | 37.5 |
| नहीं | 125 | 62.5 |
| **योग** | **200** | **100** |

तालिका 200 में से किसानों के 2525 उत्तरदाताओं द्वारा पशु के स्वामित्व को दर्शाती है, उन्होंने कहा कि उनके पास किसी भी प्रकार का जानवर नहीं है, जो 62.5% नमूना है, जबकि 75 उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास जानवर का स्वामित्व है जो बहुत छोटा हिस्सा हैं नमूना का मतलब है कि केवल 37.5%।

**तालिका 5.**
**सहकारी बैंक से ऋण कैसे प्राप्त किया का विवरण**

| जवाब | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|
| व्यक्तिगत संपर्क | 61 | 30.5 |
| राजनीतिक प्रभाव | 61 | 30.5 |
| कुछ दस्तावेज | 41 | 20.5 |
| समय पर आवेदन | 37 | 18.5 |
| योग | **200** | **100** |

**स्रोतः प्राथमिक डेटा**

**International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)**
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि उत्तरदाताओं में से अधिकांश जो 200 (30.5 प्रतिशत) में से 61 हैं, ने व्यक्तिगत संपर्कों और राजनीतिक प्रभावों द्वारा सहकारी बैंकों को ऋण दिया। जबकि 41 उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने कुछ दस्तावेजों के माध्यम से ऋण प्राप्त किया है जो कुल नमूनों का 20.5 प्रतिषत है। समय पर आवेदन के माध्यम से 37 उत्तरदाताओं ने नमूने का 1.50 प्रतिषतप्राप्त किया। इसलिए इस अध्ययन से पता चला कि प्रमुख लोगों ने राजनोतिक प्रभाव और व्यक्तिगत संपर्कों द्वारा ऋण प्राप्त किया।

**तालिका 6.**
**सहकारी बैंक के पास आपका किस प्रकार का खाता है।**
**स्रोतः प्राथमिक डेटा**

| प्रतिक्रियाएँ | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|
| बचत खाता | 37 | 18.5 |
| चालू खाता | 60 | 30.0 |
| कृषि ऋण खाता | 41 | 20.5 |
| फसल ऋण खाता | 27 | 13.5 |
| अन्य | 35 | 17.5 |
| **कुल योग** | **200** | **100.0** |

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाता जो 200 में से 60 (30 प्रतिषत ) हैं, उनका सहकारी बैंकों में चालू खाता है। जबकि 41 उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उनके पास कृषि ऋण खाता है जो 20.5 प्रतिषत बनाता है। 37 उत्तरदाताओं का सहकारी बैंकों में बचत खाता है, जो 18.5 प्रतिषतबनाता है। 27 उत्तरदाता यानि सहकारी बैंकों में फसली ऋण खाते के नमूने का 13.5 प्रतिशत। 35 उत्तरदाता यानी 17.5 प्रतिषत सहकारी बैंकों में अन्य खाते हैं। अतः इस अध्ययन से पता चला कि प्रमुख लोग चालू खाते और कृषि ऋण खातों द्वारा सहकारी बैंकों के साथ काम कर रहे हैं।

**International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)**
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

**तालिका 7.**

**आप सहकारी बैंक में अपने खाते का उपयोग कैसे करते हैं।**

| जवाब | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|
| नियमित रूप से | 35 | 17.5 |
| कभी–कभी | 68 | 34.0 |
| कोई उपयोग नहीं | 34 | 17.0 |
| तकनीकी समस्या के कारण उपयोग नहीं कर सकते | 31 | 15.5 |
| उपयोग की अनिच्छा | 32 | 16.0 |
| कुल योग | 200 | 100.0 |

**स्रोतः प्राथमिक डेटा**

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं में से जो 200 (34 प्रतिशत) में से 68 हैं उन्होंने कहा कि वे कभी–कभी सहकारी बैंक में अपने खाते का उपयोग करते हैं। जबकि 35 उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि वे नियमित रूप से सहकारी बैंक में अपने खाते का उपयोग करते हैं, जो 17.5 प्रतिषतबनाता है। ३४ उत्तरदाता यानी 17 प्रतिषतसैंपल के लिए वे सहकारी बैंक में अपने खाते का उपयोग नहीं करते हैं। 31 उत्तरदाताओं अर्थात् नमूने का 1.1.5 प्रतिषत के अनुसार वे तकनीकी मुद्दों के कारण सहकारी बैंक में अपने खाते का उपयोग नहीं कर सकते हैं। 32 उत्तरदाताओं के नमूने का 16 प्रतिषतयानी वे सहकारी बैंक में अपने खाते का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। तो इस अध्ययन से पता चला कि प्रमुख लोग कभी–कभी सहकारी बैंकों में अपने खातों का उपयोग करते हैं।

**International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)**
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

## परिकल्पना का परिक्षण :–

**$H0_1$** लघु और सीमांत किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर सहकारी बैंक का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं है।

उपरोक्त परिकल्पना के परिक्षण के लिए Chi-Square विधि का उपयोग निम्नलिखित है

लघु और सीमांत किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर सहकारी बैंक योजनाओं का कोई सकारात्मक प्रभाव का क्रॉस सारणीयन

| | | सहकारी बैंक योजना का लाभ लेने के उपरान्त सामाजिक स्थिति में सुधार | | योग |
|---|---|---|---|---|
| | | हाँ | नहीं | |
| सहकारी बैंक योजना का लाभ लेने के उपरान्त आर्थिक स्थिति में सुधार | हाँ | 73 | 71 | 144 |
| | नहीं | 3 | 53 | 56 |
| योग | | 76 | 124 | 200 |

**सारणी**

| Chi-Square test | | | |
|---|---|---|---|
| | Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) |
| Pearson Chi-Squrae | 35.177[a] | 1 | .000 |
| a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. the minimum expected count is 21.28. | | | |

**व्याख्या** :– उपरोक्त सारणी में Chi-Square की वैल्यू 35.177, जो की 0.05 महत्व के स्तर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि p वैल्यू 0.000 है। इसलिए हम कह सकते है कि हमारी शून्य परिकल्पना अर्थात लघु और सीमांत किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर सहकारी बैंक का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं है। को हम अस्विकार कर सकते है। दुसरे शब्दों में हम यह व्याख्या कर सकते है कि सहकारी बैंक योजना का लाभ लेने के उपरान्त किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला है।

**International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)**
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

## टी टेस्ट :–

छोटे और मध्यम किसानों की कृषि पर सहकारी बैंकों के प्रभाव को मापने के लिए।

सारणी :– किसानों के विकास में सहकारी बैंकों का योगदान

| बयान | टी | डी एफ | पी–मान | परिणाम |
|---|---|---|---|---|
| बैंक अधिकारी स्थानीय उधारदाताओं द्वारा धोखाधड़ी और शोषण की जानकारी देकर किसानों की मदद करते हैं। | 26.293 | 199 | .000 | परिकल्पना अस्वीकृत |
| बैंक किसानों को ऋण का उचित उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। | 31.540 | 199 | .000 | परिकल्पना अस्वीकृत |
| बैंक अधिकारियों ने किसानों को आसान भुगतान के विकल्प स्वीकार किए। | 31.130 | 199 | .000 | परिकल्पना अस्वीकृत |
| कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बैंक कृषि शिविर का आयोजन करता है। | 27.025 | 199 | .000 | परिकल्पना अस्वीकृत |
| बैंक किसानों को अन्य बैंकों के ऋण और वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। | 27.167 | 199 | .000 | परिकल्पना अस्वीकृत |
| बैंक ऋण लक्ष्य निर्धारित करते समय छोटे और मध्यम किसानों पर ध्यान केंद्रित करता है। | 28.565 | 199 | .069 | परिकल्पना स्वीकृत |
| क्या आप संतुष्ट हैं कि ऋण राशि उचित है। | 29.500 | 199 | .078 | परिकल्पना स्वीकृत |
| सहकारी बैंक की ऋण योजनाएं किसानों के लिए काफी अच्छी हैं। | 28.459 | 199 | .086 | परिकल्पना स्वीकृत |
| सहकारी बैंक ऋण योजनाओं और नीतियों की सही और सटीक जानकारी प्रदान करके किसानों को लाभान्वित करते हैं | 26.723 | 199 | .000 | परिकल्पना अस्वीकृत |

यह तालिका किसानों के विकास में सहकारी बैंकों के योगदान को मापने के लिए विभिन्न परिकल्पनाओं का परिणाम दर्शाती है।गणना की गई पी–मान <0.05 के बाद से, शून्य परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि बैंक अधिकारी किसानों को स्थानीय मनी लेंडर्स द्वारा उन्हें धोखाधड़ी और शोषण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने में मदद करते हैं, जो किसी भी समय उन्हें सामना करना पड़ सकता है।बैंक किसानों को उनके ऋण के पैसे का सही जगह और समय पर उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है।वे उन्हें विभिन्न भुगतान के तरीकों के बारे में उचित ज्ञान देते हैं ताकि वे अपनी सुविधा और चुकाने की क्षमता के अनुसार किसी भी मोड का विकल्प चुन सकें।

सहकारी बैंक कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए कृषि शिविर का आयोजन करते हैं। यहा तक कि बैंक ऋण और वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो अन्य बैंकों द्वारा प्रदान की जाती हैं। ताकि किसान अन्य बैंकों का भी लाभ उठा सकें। सहकारी बैंक किसानों के लाभ के लिए नीतियों और योजनाओं के बारे में सही और सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। चूकि पी–मान>.05, अशक्त परिकल्पनाएं अस्वीकार की जाती हैं। इसका मतलब है कि सहकारी बैंक अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय छोटे और सीमांत किसानों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बड़े किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किसान उन ऋणों की राशि से संतुष्ट नहीं हैं जो उन्हें बैंकों द्वारा दिए गए हैं। किसानों को लगता है कि बैंकों द्वारा उन्हें प्रदान की गई ऋण योजनाए उनके विकास के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

## निष्कर्ष :–

जिला सहकारी बैंकों का प्रमुख उद्देष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना एवं इस प्रकार ग्रामोण अर्थव्यवस्था का विकास करना व कृषक, श्रामिक, लघु व कुटीर उद्यमियों आदि को सेठ–साहूकारों के षोषण से मुक्त करवाना भी है। इसलिए नीति के तहत कृषकों को बैंक कृषि एवं संबंधित कार्यों हेतु सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं। इतना ही नहीं तो वे उन्हें अच्छे खाद, बीज, कीटनाषक दवाइयाँ आदि उपलब्ध करवाते हैं। इन सबका कृषकों को सहारा मिलता है। वह षोषित होने से बच जाता है। आजीविका अर्जन में आसानी के कारण आत्महत्या में भी कमी आयी है। परंतु वर्तमान में जिला सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करने म कृषकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बाधा है, दलाल व बिचौलियों की। कारण एक प्रकार से वे भी सेठ–साहूकारों की ही जमात में खड़े हो जाते हैं और षोषक की भूमिका निभाते हैं। आज भी कृषक आपनी अजीविका चलाने, शादी के कार्यक्रम करने, बीमार होने एवं कृषि कार्यों जैसे अन्य कार्यों के लिए स्थानीय साहूकारों पर निर्भर है। क्योंकि बैंकों से ऋण लेने के प्रक्रिया उन्हें

कठिन एवं उलझी हुई लगती है। इसलिए वे आज भी छोटे–छोटे ऋणों के लिए साहूकारों पर निर्भर है।

सहकारी बैंक अपने नियमों तथा ब्याज दरों में लघु व सीमांत किसानों को ढील व कमी देते हैं। जिला सहकारी बैंकों द्वारा किसान जागरुकता अभियान कार्यक्रम और समाधान षिविर भी आयोजित किए जाते हैं। इनके द्वारा लघु व सीमांत कृषक षासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जान सकें व उनका लाभ ले सकें। कृषकों की आर्थिक संवृद्धि में सहकारी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मध्यप्रदेष के कृषकों की आर्थिक उन्नति में सहकारी बैंकों का महत्वपूर्ण हाथ है। यद्यपि भारत देष लघु एव सीमांत कृषकों का देष है, तथापि यहाँ कृषि भूमि का वितरण अत्यंत दोषपूर्ण है। बड़े कृषकों के पास बड़े हिस्से वाली कृषि भूमि है। वहीं लघु व सीमांत कृषकों को केवल जीवन निर्वाह करने योग्य या उससे भी कम कृषि भूमि प्राप्त होती है। चिंता का विषय तो यह भी है कि इन छोटे किसानों की कृषि योग्य भूमि दिन पर दिन घटती ही जा रही है।

## सुझाव –

1. मजदूरी की तुलना में कृषि से अधिक और अच्छा आर्थिक विकास हो सकता है इसके लिए ग्रामीण कृषकों को कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी देना चाहिए और कृषि में प्रयोग की जानी वाली मषीनों एवं तकनीकी उपकरणों के लिए प्रषिक्षण भी दिया जाना चाहिए जिससे उन्हें कृषि में अत्यधिक लाभ मिल सके।

2. षासकीय योजनाओं के लिए कागजी कार्यवाही को सरल किया जाए। यदि आवेदनकर्ता के पास आवष्यक दस्तावेज की कमी के कारण और मध्यस्त अधिकारियों के असहयोग के कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। अतः योजनाओं के नियमों को सरल एवं आसान किया जाए और उसमें पारदर्षिता रखी जाएं।

3. कृषकों के सामने कभी–कभी अत्यधिक कृषि लागत, फसलों का खरब हो जाना, फसलों का बाजार मूल्य लागत मूल्य से कम हो जाना आदि के कारण आत्महत्या जैसी समस्या सामने आ जाती है। अतः किसानों के लिए बिल भुगतान के नियम आसान और सरल होना चाहिए जिससे किसानों की समस्या कम हो सके।

## संदर्भ : –


- राय पारसनाथ, राय सी.पी. (2016) "अनुसन्धान परिचय " प्रकाषक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा आई. एस.बी.एन. 8185778728
- यादव, चन्द्रभान (2018) "कुरूक्षेत्र" "ग्रामीण विकास का आधार कृषि" प्रकाषन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय सूचना भवन, नई दिल्ली।
- सिंह, जतिंदार जून (2018) नए दौर के कौषल रोजगार के अवसर, योजना प्रकाषन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
- कांकरिया, सुरेन्द्र (1997), ''सिचांई हुई पर किसान के खेत में पानी नहीं, नई दुनिया, इन्दौर।
- http://www.soilhealth.dac.gov.in